



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1939 (श०)
(सं० पटना 1083) पटना, बृहस्पतिवार, 16 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2017

एस०ओ० 288, दिनांक 16 नवम्बर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, बिहार राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्टूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररुप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा देय विलंब फीस की रकम का अधित्याग करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु ऐसे विवरणियों में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्टूबर माह से आगे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्याग जारी रहेगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवंबर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-4106)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

16 नवम्बर 2017

एस०ओ० 289, एस०ओ० 288, दिनांक 16 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-4106)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 16th November 2017

S.O. 288, dated the 16th November 2017— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of State tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from 15 November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—4106)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1083-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>